FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

भगवती **बनाम एन.एच.ए.आई.**

किस्म मुकदमा– प्रा.पत्र बाज दायरी नम्बर 10–सन्– 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2024	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। अधिवक्तागण की प्रा. पत्र बाज दायरी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.6.2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण को उनके अधिवक्ता ने हिदायत कर रखी थी कि प्रार्थीगण को प्रत्येक पेशी पर अदालत में आने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रार्थीगण की जरूरत होगी सूचना देकर बुलवा लेंगे। जिस कारण से प्रार्थीगण अदालत में हाजिर नहीं हो सके। और प्रार्थीगण के अधिवक्ता उक्त दिवस को दीगर न्यायालय में व्यस्त होने की वजह से न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो सके। उकिसी भी प्रकरण में पक्षकार या उसके अधिवक्ता के अदालत में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकार को अदालती नोटिस से तलब किया जाता है। प्रार्थीगण को कोई अदालती नोटिस भी जारी नहीं हुए है। उक्त प्रकरण प्रार्थीगण के महत्वपूर्ण हक हकूक व अधिकारों से संबंधित है। ऐसी सूरत में पुनः नंबर पर लिया जाकर सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दिनांक 6.2.2020 को न्यायालय में अपने मुकदमे बाबत तलाश करने अपने अधिवक्ता के पास आये तक प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण जानकारी से अंदर मियाद तुरन्त बाज दायरी प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र बाज दायरी स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थना पत्र को पुनः नंबर पर लिया जाकर सुनवाई की जाने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र विधि, तथ्यों एवं प्रकिया के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने की गरज से पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मनगढन्त व निराधार है। बाज दायरी प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की समय सीमा नियत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियत समयावधि में प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्याय हित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बाज दायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण को 500/–रू0 की कोस्ट पर नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त कोस्ट राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने हेतु तहरीर जारी हो। मूल प्रार्थना पत्र पुनः नंबर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रा.पत्र बाज दायरी फैसल शुमार होकर मूल प्रा0पत्र के संलग्न रहे। Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.09.23 13:40:21 IST Reason: SelfAttested Devendra जिला कलक्टर दौसा जिला कलक्टर, दौसा	